भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1744

उत्तर देने की तारीख : 01.08.2024

एमएसएमई क्षेत्र में कौशल अंतर

1744. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एमएसएमई क्षेत्र में कौशल के अंतर के कारण गंभीर बाधाओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एमएसएमई व्यवसायों द्वारा अपेक्षित कौशल वर्तमान में कार्यरत श्रमिक कार्यबल के बीच उपलब्ध कौशल से मेल नहीं खाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने विभिन्न सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है, जो उद्योगों के नेतृत्व वाले निकाय हैं। वे अन्य कार्यों के साथ-साथ, अपने-अपने क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करते हैं, व्यावसायिक मानदंड तैयार करते हैं, और उद्योगों की अपेक्षाओं के अनुरूप क्षमता विकसित करने संबंधी रूपरेखा तैयार करने के साथ-साथ प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और उन्हें प्रमाणित भी करते हैं। एनएसडीसी द्वारा संबंधित क्षेत्र में 36 एसएससी स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के साथ-साथ कौशल क्षमता मानकों को निर्धारित करने का कार्य भी सौंपा गया है।

कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में विभिन्न योजनाओं, नामत: प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), *राष्ट्रीय* प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, कौशल निर्माण और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इसके अलावा, उद्योग के लिए कुशल मानवश्रम, विशेष रूप से एमएसएमई की कौशल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित संगठनों और योजनाओं के माध्यम से युवाओं और उद्योग कार्यबल के लिए विभिन्न कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है:

संगठन

(i) देश में स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र और इनके विस्तार केंद्र,
(ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी),
(iii) खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी),
(iv) कॅयर बोर्ड,
(v) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निमस्मे),
(vi) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी)

योजनाएं:

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना,
(ii) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना,
(iii) नवाचार, ग्रामोद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक योजना (एस्पायर),
(iv) कॅयर विकास योजना,
(v) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम आमतौर पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप होते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) / राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) / राज्य तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीटीई और वीटी) द्वारा और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुमोदित होते हैं। उद्योगों के आवश्यकतानुसार इन पाठ्यक्रमों की समीक्षा और उन्नयन भी किया जाता है।

*****